NOES

Chaudhuri, Shri Tridib Kumar	Misra, Dr. U.	Shastri, Shri Prakash Vir
Elias, Shri M.	Pottekkatt, Shri	Swamy, Shri Sivamurthy
Kachchavaiya, Shri	Raghavan, Shri A.V.	
Kapur Singh, Shri	Sen, Dr. Ranen	Yadav, Shri R.S.
Kar, Shri Prabhat		

Mr. Speaker: The result of the division is as follows:

Ayes: 74; Noes: 12

The 'Ayes' have it, 'the 'Ayes' have it.

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The motion is adopted and leave is granted. Now, the hon. Member may withdraw the Bill.

Shri C. K. Bhatacharyya: I withdraw the Bill.

16.55 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of sections 15, 30 etc.)

by Shri P. L. Barupal

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में आगे संशोधन करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।"

आजकल नई कम्पनियों के शेअर बहुत निकले हैं जो कि छोटे-छोटे दस दस रुपये के होते हैं जिनको ग्रामीण लोग खरीद सकते हैं । लेकिन जो कम्पनीज एक्ट हैं उसके अंग्रेजी में होने के कारण वे लोग उसको समझते नहीं हैं इसलिये उसके नफे के और कानून के सम्बन्ध में उनको किसी बात का ज्ञान नहीं होता है । इसलिये मैं समझता हूं कि अगर कम्पनी एक्ट को हिन्दी में भी छापा जाय तो जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वे उसको समझ सकेंगे । यह एक्ट बहुत बड़ा है और अंग्रेजी में है । मैं स्वयम् अंग्रजी नहीं जानता इसलिये मैं इसको ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूं । इसके सम्बन्ध में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनको देखते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसकी धारायें यह और होनी चाहियें :

(१) प्रत्येक पब्लिक कम्पनी अपने अनुच्छेद और ज्ञापन । आर्टिकल और मेमोरेन्डम । अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में अवश्य छपायें ।

(२) मैनेजिंग एजेन्सी तथा विक्रय एजेन्सी इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी हिन्दी में तैयार होना चाहिये ।

(३) कम्पनियों के नाम और पते उनके पत्रों पर अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी लिखे होने चाहियें ।

(४) वार्षिक आय व्यय (बैलेन्स शीट), डायरेक्टरों की रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट इत्यादि अंग्रजी के साथ साथ हिन्दी में छपनी चाहिएं ।

(५) शेयर पत्र के विवरण अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी छपने चाहियें ।

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं यहां पर आज बारह वर्षों से हूं, लेकिन मुझे कोई भी बिल हिन्दी में देखने को नहीं मिला । जब तक हम हिन्दी भाषी लोग बिल को अच्छी तरह से समझ न लें, देख न लें, तब तक हमको बड़ी कठिनाई होती है । हम किस प्रकार से अपने विचार आपके सामने रक्खें और किस प्रकार अपने सुझाव दें ? अगर कोई ऐक्ट या बिल हिन्दी में तैयार होते तो हम भी थोड़ा बहुत उनको समझ पाते और यह महसूस करते कि हमारा सहयोग भी लिया जा रहा है ।

आज स्थिति यह नहीं है कि हिन्दी भाषी जो लोग हैं क्या उनमें अक्ल नहीं होती या अंग्रेजी जानने वाले समझदार होते हैं उतने समझदार हिन्दी भाषी नहीं होते । अगर बिल हिन्दी में आते तो हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें जो खामी पाते, जिस धारा से जनता को लाभ न पहुंचता, उसका संशोधन करने के लिये अनुरोध करते । लेकिन अफसोस की बात है कि इतने वर्ष हो जाने पर भी, बार बार हमारे कहने पर भी हिन्दी में विधेयक नहीं आते हैं जिससे हम हिन्दी भाषी लोगों का बहुत नुकसान होता है । अंग्रजी जानने वालों का नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो केवल हिन्दी वालों का होता है । कोई भी आज हमसे पूछे कि क्या कानून यहां बनते हैं, उस कानून के बनने से किसानों का मजदूरों का और मिडिलमैनों का लाभ होता है या नहीं, तो हम क्या जवाब दें ? कारण यह है कि सारी यहां की कार्रवाई तो अंग्रेजी में होती है ।

इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि जो सुझाव मैं ने दिये हैं उन पर सदन गम्भीरता पूर्वक विचार करे ताकि भविष्य में जो भी कानून बनें, जो भी एक्ट बनें, इस सदन के अन्दर जो भी बिल आयें, वे हिन्दी में आयें । हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह हम अपने संविधान में मान चुके हैं । लेकिन राष्ट्रभाषा होते हुए भी हिन्दी की उपेक्षा की जाय, हिन्दी के राष्ट्रभाषा होते हुए भी यहां हिन्दी में कानून न बनें यह बड़े दुःख की बात है और यह हमारे संविधान की अवहेलना है । मैं समझता था कि हम हिन्दी वाले यहां कुछ तरक्की करेंगे लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बजाय हमारे आगे बढ़ने के हम हिन्दी वालों को ही अंग्रेजी वालों के पैर पकड़ने पड़ते हैं क्योंकि हम हिन्दी में पत्र लिखते हैं तो उनका जवाब भी नहीं आता है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर आम सवाल हिन्दी का नहीं है । सवाल उसका है जो कि आप कम्पनी ला के ऊपर संशोधन ला रहे हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं उस कम्पनी एक्ट के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कम्पनी एक्ट के संशोधन के लिये मैं ने जो विधेयक यहां रक्खा है, उसमें जो हमारे दूसरे जानकार लोग हैं वे मेरी मदद करेंगे और इसमें जो खामियां रह गई हैं उनको निकालने में वे सहायता करेंग । मैं उम्मीद करता हूं कि वे कम्पनी एक्ट को हिन्दी में छपवाने के लिये भी जोर देकर कहेंगे ।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration".

मिनिस्टर ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आप लोगों की तरफ देखा था लकिन आप में से कोई उठा नहीं ।

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर) : हम लोग घड़ी की तरफ देख रहे थे कि समय हो गया है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मेरा ख्याल था कि आप "यस" या "नो" के लिए कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं शायद ऐसी जबान में नहीं बोला था जो कि आप न समझते हों । अब यह आगे जारी रहेगा ।

Discussion on this Bill will continue on the next day.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 2, 1963/Bhadra 11, 1885 (Saka).